रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 193] नई दिल्ली, शनिवार, मई 7, 2005/वैशाख 17, 1927

No. 193] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 7, 2005/VAISAKHA 17, 1927

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मई, 2005

सा.का.नि. 280(अ).— केंद्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, *1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,* खनिज रियायत नियम, 1960 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खनिज रियायत (तीसरा संशोधन) नियम, 2005 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. खनिज रियायत नियम, 1960 में, नियम 66क के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"**66क. परमाणु खनिज से संबंधित विशेष उपबंध** :-- (1) इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग ख में सूचीबद्ध परमाणु खनिजों के संबंध में पूर्वेक्षण या खनन संक्रियाएं निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगी :--

(i) यदि कोई पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे का धारक अनुज्ञप्ति या पट्टे के अधीन अनुदत्त क्षेत्र में किसी परमाणु खनिज की खोज करता है, जो अनुज्ञप्ति या पट्टे में विनिर्दिष्ट नहीं है, तो वह ऐसे खनिज की खोज को भी ऐसे खनिज की खोज की तारीख से साठ दिनों के भीतर निदेशक, परमाणु खनिज खोज और अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद को रिपोर्ट करेगा;

(ii) अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार, ऐसे परमाणु खनिज को तब तक प्राप्त या व्ययन नहीं करेगा जब तक ऐसे परमाणु खनिज को उस प्रयोजन के लिए अनुज्ञप्ति या पट्टे में सम्मिलित नहीं कर लिया जाता है या उसके लिए कोई पृथक् अनुज्ञप्ति या पट्टा अभिप्राप्त नहीं कर लिया जाता है ;

(iii) ऐसे पूर्वेक्षण या खनन संक्रियाओं के अनुषंग में प्राप्त परमाणु खनिजों की मात्राएं पृथकतः संगृहीत और भंडारीकृत की जाएंगी और उस तथ्य की रिपोर्ट प्रत्येक तीन मास में सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग, मुंबई और निदेशक, खोज और अनुसंधान, परमाणु खनिज निदेशालय, हैदराबाद को अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार द्वारा ऐसी और कार्रवाई करने के लिए भेजी जाएगी जो खोज और अनुसंधान, परमाणु खनिज निदेशालय या परमाणु विभाग द्वारा निदेशित की जाए ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार उसमें निर्दिष्ट अवधि के भीतर परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) के उपबंधों के अधीन उक्त परमाणु खनिजों को हथालने के लिए अनुज्ञप्ति अनुदत्त किए जाने के लिए राज्य सरकार की मार्फत सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग, मुंबई को आवेदन करेगा और परमाणु ऊर्जा विभाग, अनुज्ञप्ति जारी करने के संबंध में राज्य सरकार को संसूचित करेगा :

परंतु यदि परमाणु ऊर्जा विभाग की राय में ऐसे पूर्वेक्षण या खनन संक्रियाओं के अनुषंग में प्राप्त किए गए परमाणु खनिज लाभकारी उपयोज्य श्रेणी का नहीं है या प्राप्त की गई मात्रा नगण्य है तो वह राज्य सरकार को अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार से पृथक् अनुज्ञप्ति या पट्टा अभिप्राप्त करने की छूट देने या इन नियमों के अधीन परमाणु खनिजों को सम्मिलित करने की सलाह दे सकेगा ”।

[फा. सं. 7/1/2004-एम. VI]

प्रशांत मेहता, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम राजपत्र में सं. सा.का.नि. 1398(अ), तारीख 26-11-1960 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना सं. सा.का.नि. 153(अ), तारीख 4-3-2005 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF MINES
NOTIFICATION

New Delhi, the 5th May, 2005

G.S.R. 280(E).— In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following further amendments in the Mineral Concession Rules, 1960, namely: -

1. (1) These rules may be called the Mineral Concession (Third Amendment) Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Mineral Concession Rules, 1960, for rule 66A, the following rule shall be substituted, namely: -

"66A. **Special provisions relating to atomic minerals:-** (1) Notwithstanding anything contained in these rules, the prospecting or mining

operations in respect of atomic minerals listed in Part-B of the First Schedule of the Act shall be subject to following conditions: -

(i) if the holder of a prospecting licence or mining lease discovers any atomic mineral in the area granted under licence or lease, not specified in the licence or lease, discovery of such mineral shall also be reported to the Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, Hyderabad within 60 days from the date of discovery of such mineral;

(ii) the licencee or lessee shall not win or dispose of such atomic mineral unless such atomic mineral is included in licence or lease or a separate licence or lease for the purpose has been obtained;

(iii) the quantities of atomic minerals recovered incidental to such prospecting or mining operations shall be collected and stacked separately and a report to that effect shall be sent to the Secretary, Department of Atomic Energy, Mumbai and the Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, Hyderabad, every three months for such further action by the licensee or lessee as may be directed by the Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research or the Department of Atomic Energy.

(2) The licensee or lessee referred to in sub-rule (1) shall, within the period referred to therein, apply to the Secretary, Department of Atomic Energy, Mumbai, through the State Government, for grant of a licence to handle the said atomic minerals under the provisions of the Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1962) and the Department of Atomic Energy shall intimate the State Government regarding issue of licence:

Provided that if in the opinion of the Department of Atomic Energy the atomic mineral or minerals recovered incidentally to such prospecting or mining operations is not of economically exploitable grade or the quantity found is insignificant, it may advise the State Government to exempt the licensee or lessee from obtaining a separate licence or lease for/or inclusion of the atomic minerals under these rules".

[F. No. 7/1/2004-M. VI]

PRASHANT MEHTA, Jt. Secy.

Note :—The Principal rules were published in the Official Gazette *vide* No. G.S.R. 1398(E), dated 26-11-1960 and lastly amended *vide* Notification No. G.S.R. 153(E), dated 4-3-2005.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.